भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 90

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट शासन के लिए नीति</u>

90. श्री अजय कुमार:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कारपोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए कारपोरेट शासन हेतु एक विशेष नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए समय-सीमा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक दिए जाने की संभावना है तथा क्या गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी उक्त सूची में शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो एमसीए रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन करती है तथा जो एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैग्वेंज (एक्सबीआरएल) मानकों के अनुसार है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ड.): अर्थव्यवस्था में व्यापार के बढ़ते महत्व और परस्पर निर्भर विश्व में परिचालन संबंधी जटिलताओं के कारण, इस मंत्रालय के लिए यह आवश्यक हो गया कि 07.03.2013 को श्री आदि गोदरेज की अध्यक्षता में कारपोरेट गवर्नेंस पर एक नीतिपरक दस्तावेज तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

भारत में व्यवसाय करना सुगम बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कंपनी अधिनियम, 2013 में निम्नलिखित के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:-

i) पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक एमसीए-21 रजिस्ट्री के माध्यम से कंपनियों के तीव्र निगमन/पंजीकरण का प्रावधान किया गया है;

ii) कंपनियों को ई-शासन मोड के माध्यम से अभिलेखों के रखरखाव तथा बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई है;
iii) कंपनियों को इस प्रकार से कार्य करने की शक्ति दी गई है जो 'सरकार/विनियामक अनुमोदन आधारित व्यवस्था' की जगह 'स्व-विनियमित प्रकटीकरण/पारदर्शिता' आधारित है;
iv) व्यवसाय के कारपोरेट स्वरूप का लाभ उठाने हेतु नए उद्यमियों को अनुमति प्रदान करने के लिए 'एकल व्यक्ति कंपनी' तथा 'लघु कंपनी' की संकल्पना को मान्यता प्रदान की गई है;
v) तीव्र विलय एवं अधिग्रहण जिसमें विलय के छोटे स्वरूप तथा परस्पर विलय भी शामिल हैं, को अनुमति दी गई है;
vi) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से समयबद्ध अनुमोदन;
vii) कंपनियों की एक श्रेणी के लिए शीघ्र परिसमापन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

लगभग 30,000 कंपनियां एक्सबीआरएल के लिए चुनींदा मानदंड के अंतर्गत समाविष्ट हैं। 25.11.2013 की स्थिति के अनुसार, 26,496 कंपनियों ने एक्सबीआरएल के तहत दस्तावेज दायर किए हैं।

*****